

कार्यालय वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी

(वन भवन, एच0आई0जी0-33, अशोक विहार कालोनी फेज-1 पटवर्धिया वाराणसी-221007)
E-Mail-cfvaranasi2@yahoo.com, cfva-up@nlc.in दूरभाष-0542-2585444

सेवा में,

पत्रांक- 929 / 29-1 दिनांक: वाराणसी, अक्टूबर, 13 2020

मुख्य वन संरक्षक
मिर्जापुर क्षेत्र
मिर्जापुर।

विषय:-

ओबरा-सी बदायू ट्रान्समिशन लि0 द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेशन लाइन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.778 हे0 आरक्षित व 0.01 हे0 संरक्षित वनभूमि (46.879 हे0 वनभूमि) के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोटी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोटी के पातन, ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग, जौनपुर वन प्रभाग की 0.518 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 28 वृक्षों में से 16 वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावित 0.265 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 39.536 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 585 वृक्षों एवं 17 बॉस कोटी में से 310 वृक्षों व 09 बॉस कोटी के पातन अर्थात् कुल 88.748 हे0 आरक्षित एवं 0.884 हे0 संरक्षित, कुल योग 89.632 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 980 वृक्षों व 511 बॉस कोटी में कुल 567 वृक्षों/पौधों एवं 299 बॉस कोटी के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-830/11-सी दिनांक-10.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई बिन्दुवार आपत्ति (बिन्दु संख्या-1 से 2 जो आपके मण्डल से सम्बन्धित है) तथा बिन्दु सं0-3 प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग से सम्बन्धित है का निस्तारण प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी ने अपने कार्यालय पत्रांक-1238/29-1, दि0-13.10.2020 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन में कोई बदलाव नहीं होने का उल्लेख किया है। प्रभागीय वनाधिकारी वाराणसी की इस आख्या को बिन्दु सं0-1 व 2 के साथ समावेश करते हुए अपने स्तर से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित करने का कष्ट करें। प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी की उक्त आख्या संलग्न है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(डा0 राजीव मिश्रा)
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी

संख्या- (1)/ समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी।
- 3- जनरल मैनेजर, ओबरा-सी बदायू, ट्रान्समिशन लाइन लि0 जिला-बरेली।

(डा0 राजीव मिश्रा)
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी